

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री ईश्वर दत्त राव व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अलोद, बूंदी, जिनकी जन्म तिथि:- 06.07.1963 ने दिनांक 16.05.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.09.2022 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्री ईश्वर दत्त राव व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अलोद, बूंदी को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.09.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री ईश्वर दत्त राव के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 12/09/22

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2022 / 133

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

01. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
02. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
03. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
04. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
05. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
06. वरिष्ठता एवं नियम अनुभाग/डीपीसी अनुभाग कार्यालय हाजा।
07. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अलोद, बूंदी,।
08. श्री ईश्वर दत्त राव व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अलोद, बूंदी,।
09. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री हनुमान सिंह व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि अक्कासर कोलायत, बीकानेर जिनकी जन्म तिथि:- 12.08.1965 ने दिनांक 19.07.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 30.11.2022 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्री हनुमान सिंह व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि अक्कासर कोलायत, बीकानेर को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 30.11.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री हनुमान सिंह के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 12/09/22

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2022 | 192
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

01. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
02. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
03. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
04. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
05. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
06. वरिष्ठता एवं नियम अनुभाग/डीपीसी अनुभाग कार्यालय हाजा।
07. प्रधानाचार्य, राउमावि अक्कासर कोलायत, बीकानेर।
08. श्री हनुमान सिंह व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि अक्कासर कोलायत, बीकानेर।
09. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर